PUNJABDISAPPEARED.ORG

disappeared, denied but not forgotten

प्रेस विज्ञप्ति

8257 लोगों के सामूहिक दाह-संस्कार की फिर से जांच-पड़ताल और गुमनाम लाशों की खोज और शिनाख्त - जो गायब हो गये और जिनका फर्जी मुठभेड़ किया गया

जांच-पड़ताल की रिपोर्ट की विज्ञप्ति

जांच परिणाम/निष्कर्ष

अज्ञात की पहचान: ''सच और न्याय के लिए पंजाब की सालों-साल चली जांच'':

निष्कर्ष से सुप्रीम कोर्ट आॅफ इंडिया में याचिका दायर की जाएगी

पंजाब में वर्ष 1980 के दशक से 1995 के बीच हुई सामूहिक हत्याओं और फर्जी मुठभेड़ों के शिकार हुए लोगों की जांच 7 साल में पंजाब एडवोकेसी और डॉक्यूमंेटेशन प्रोजेक्ट (पीडीएपी) ने की है। इस जांच-पड़ताल के निष्कर्ष दिल्ली और चंडीगढ़ में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किये जायेंगे। जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि पंजाब में हजारों की तादाद में लावारिस, अज्ञात और बिना पहचान के सामूहिक दाह-संस्कार कर दिये गए थे जिसका रिकॉर्ड कुछ समय पहले मिला है। पीडीएपी ने सैकड़ों ऐसे लोगों की जांच-पड़ताल की, उनकी पहचान निकाली और दस्तावेज बनाये जिनका पहले अज्ञात रूप में दाह-संस्कार किया गया था और उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। रिपोर्ट बताती है कि किस तरह पंजाब पुलिस और सिक्यूरिटी फोर्स वालों ने आक्रमकता और विद्रोह के दौर में पूरी व्यवस्था के तहत लोगों को मारा।

यह रिपोर्ट पंजाब के लोगों का अपने पीड़ित भाई-बहनों को न्याय दिलाने और सच बाहर निकालने के संघर्ष को भी बयां करती है।

यह रिपोर्ट, पीडीएपी की विस्तृत जांच-पड़ताल और अध्ययन के आधार पर तैयार की गयी है। इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला है कि पंजाब के उस स्याह वक्त की जिसमें निर्दयता से मानवीय अधिकारों का हनन किया गया था, एक स्वतंत्र, भरोसेमंद और विस्तृत जांच की सख्त आवश्यकता है। इसलिए अब विधिवत तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की जाएगी जिसमें न्यायायल से यह गुजारिश की जाएगी कि इस गंभीर मामले की बारीकी से जांच-पड़ताल की जाए और उचित न्याय प्रदान किया जाए। इस संबंध में माननीय न्यायालय के पास शासनादेश भी है कि वह आजाद भारत के सबसे बड़े मानवाधिकार हनन पर पीड़ितों को उचित न्याय प्रदान करे। सच और न्याय की अविलंब जरूरत है।

यह रिपोर्ट अमृतसर में अप्रैल माह में दो दिन के लिए आयोजित की गई इंडीपेंडेंट पीपुल्स टिंब्यूनल (आईपीटी) के आधार पर तैयार की गयी है। आईपीटी में जजों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक सामूहिक पैनल बनाया गया था जिन्होंने 700 पीड़ित लोगों के परिजनों की आपबीती और गवाही सुनी। आईपीटी में जस्टिस ऐ. के. गांगुली (रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज), कविता श्रीवास्तव (पीपुल्स यूनियन फॅार सिविल लिबर्टीज, राष्ट्ंाीय संयोजक), परमजीत कौर खालरा (खालरा मिशर्न ओगनाइजेशन), जस्टिस सुरेश (रिटायर्ड जज मुंबई उच्च न्यायालय), बबलू लोइतोंगबाम (ह्यूमन राइट्स एलर्ट, मणिपुर), तपन बोस (सेक्रेटरी जनरल, साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स फोरम), सोनी सोरी (टंाइबल राइट्स एकटिविस्ट, छत्तीसगढ़), परवीना अहांगर (एसोसिएशन आॅफ पैरेन्ट्स आॅफ डिसएपीयर्ड पर्सन्स, कश्मीर) शामिल थे।

इसके अलावा हमारी रिपोर्ट बड़ी बारीकी से ''पंजाब सामूहिक दाह-संस्कार'' के केस में राष्ट्रीय मानव अधिकार भवन की असफलताओं की आलोचना करती है। यह केस मानव अधिकार एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा के काम पर आधारित है जिन्होंने 1995 में सबसे पहले अमृतसर के तीन जिलो में सामूहिक हत्या का पर्दाफास किया था। 21 वर्ष की देरी दर्शाती है कि कैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार भवन ने सामूहिक हत्या को न्यायिक रूप से पटरी से अलग किया और आखिर में दबा दिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार भवन ने खुद को केवल 2067 हत्याओं तक सीमित रखा जो अमृतसर के तीन जिलों में हुई थी। हमें पता चला कि हजारों लोगों ने अपने केस राष्ट्रीय मानव अधिकार भवन को भेजे और इन सभी पर विचार करने के लिए, भिन्न-भिन्न सहकमिटी बनाई गयी। 1527 (2067 में से) पीड़ितों की पहचान के बावजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार भवन ने खुद के नियम और शासन अधिकार को दरकिनार करते हुऐ सभी केसों को मानने से इंकार कर दिया और यह नहीं पता किया कि फर्जी मुठभेड़ हुई कि नहीं। अधिकतर केस मनमाने रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिए गए। हमारी जांच में आया कि बहुत सारे पीड़ितों की दूसरी जगह भी सामूहिक हत्या की गई और इसके साफ-साफ सबूत हैं। इसीलिए यह फर्ज बनता है कि उनके सामूहिक दाह और गुनाह की जांच करी जाए। पिछले दो दशकों से बिना हल हुई ये सामूहिक हत्याएं जो जसवंत सिंह खालरा के बलिदान से शुरू हुई, अब भी जारी है। हमारी जांच-पड़ताल में सामने आए 8257 गायब और मारे गए लोगों की जांच के बिना पंजाब में मारे गये लोगों का ये चित्र अधूरा है। ऐसे स्पष्ट, ठोस और अकाट्य सबूत हंै जो इस बात को और बल देते हैं। रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन सभी मामलों की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए। उन्हें संविधान सम्मत और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के नियमों सच, न्याय और राज्य द्वारा भविष्य में ऐसे सामूहिक गुनाहों की पुनरावृत्ति न हो, को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जाए और सच को सामने लाया जाए।

रिपोर्ट आधिकारिक रूप से दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाली जायेगी जिनकी जानकारी नीचे दी गई है-

.....

रविवार 10 दिसंबर 2017, 11.30 बजे

प्रेस क्लब आॅफ इंडिया, 1, राइसिना रोड,

नई दिल्ली-110001